

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं।

इस कार्यालय की सूचना सं.डी.एम.डब्ल्यू./पी/एस-1/174/Sr.Tech./Crane Driver दिनांक 22.01.2021 के द्वारा Crane Driver trade में Sr.Tech, (Level-6) के पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी, जिसमें इस कार्यालय की सूचना दिनांक 12.03.2021 द्वारा 03 कर्मचारियों को अनंतिम चयन सूची में रखा गया था। प्रकाशित अनंतिम चयन सूची में क्रम सं. 01 पर अंकित कर्मचारी को वर्तमान में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध विचारा गया है। जिनका विवरण इस प्रकार है-

S N	नाम	Emp.No	पदनाम/Trade	श्रेणी	Which post against	शॉप
1	Sh. Davinder Singh	51500501530	Tech-I/ (Crane Driver)	UR	UR	TMS

तदनुसार उपरोक्त प्रकाशित अनंतिम चयन सूची के आधार पर कर्मचारी को रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 19.06.2018 (RBE No. 91/2018) में निहित निर्देशानुसार 'Reserved to Reserved' & 'Un-reserved to Un-reserved' की नीति को अपनाते हुए Sr.Tech. (Crane Driver trade), में, (Level-6) के पद पर पदोन्नत किया जाता है और उन्हें उनके वर्तमान कार्यस्थल पर तैनात किया जाता है।

The above staff is liable to be reverted if there is shrinkage of cadre in future due to any reason.

ये आदेश नये पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी होंगे। वरिष्ठ अधीनस्थ एवं नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई D&AR मामला विचाराधीन तो नहीं है, जिस कारण इन्हें पदोन्नति हेतु अयोग्य ठहराया जा सके। यहाँ पर बताया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी MACP Scheme के अन्तर्गत, (Level-6) में वेतन ले रहा है। अतः इनका वेतन निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है।

The above order is purely provisional and subject to outcome of the Contempt Petition (C) No. 314/2016 in SLP (C) No. 4831 of 2012 titled Samta Andolan Samiti through President Vs Sanjay Kothari & Others and connected CWPs.

It is also subject to any further orders which may be passed by Hon'ble Supreme Court of India. {Ref. Railway Board vide Letter No. 2018-E(SCT)/I/25/9 dated 19.06.2018 (RBE No. 91/2018)}.

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
18/03/2021
18/03/2021

सं.डी.एम.डब्ल्यू./पी/एस-1/174/Sr.Tech./Crane Driver.

प्रतिलिपि:

1. CESE/CWE-I
2. Dy.CME (Plant), Sr.EDPM :- For uploading this Officer Order on DMW's official website.
3. WM(IE), AFA(E&G)
4. SSE(TMS)
5. Section Incharge.: (Bill), (APAR), (HRMS), (P&G)
6. Chief Time keeper of TKO
7. Joint. Secy., Staff Council/DMW/Patiala
8. President, All India SC/ST Association (DMW Zone).
9. President, All India OBC Association (DMW Zone).
10. Office Order file.
11. Staff concerned.